संख्या 299/56-3ख (1/24)-77

प्रेषक,

श्री चन्द्रहास सिंह,
संयुक्त सचिव एवं प्रोटोकाल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 6 मार्च, 1979

विषय:—राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों के प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्य प्रदर्शन।

महोदय,

प्रोटोकाल विभाग

मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की जानकारी में ऐसे तथ्य आये हैं कि जब मंत्रिगण जिलों में दौरे पर जाते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा उनके साथ यथोचित शिष्टाचार नहीं बरता जाता । इस संबंध में समय-समय पर शिष्टाचार एवं सौजन्य प्रदर्शन संबंधी निदेश पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा प्रसारित किये गये है ।

1—सं 056-3ची (1/61)-70 दि 028/31/8-70
2—सं 056-3ख (1/24)-77 दि 0 25/3/77
3—सं 01313 (प्रो) 056 3ख (1/24) 77 दि 0 22-3-78

2—अतः मंत्रीगण इत्यादि के साथ बरते जाने वाले शिष्टा-चार, सौजन्य आदि के संबंध में हिदायतों की संहत एवं अद्यावधिक प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि उक्त हिदायतों में दिये गये समस्त निर्देशों का भली-भांति अवलोकन करें और उनका पालन अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं निष्ठा के साथ किया जाय ताकि भविष्य में शिष्टाचार प्रदर्शन में किसी अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो ।

संलग्न हिदायतें

भवदीय,
चन्द्रहास सिंह,
संयुक्त सचिव एवं प्रोटोकाल अधिकारी ।

संख्या 299/56-3ख (1/24)-77, तद्दिनांक :—

प्रतिलिपि हिदायतों की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:—

(1) समस्त मंडलों के आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3) पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(4) समस्त रेंजों के उप महानिरीक्षक पुलिस, उत्तर प्रदेश ।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
चन्द्रहास सिंह,
संयुक्त सचिव एवं प्रोटोकाल अधिकारी ।

संख्या 299/56-3ख (1/24)-77 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि हिदायतों की प्रति सहित निजी सचिव, मुख्य मंत्री समस्त मंत्री/समस्त राज्य मंत्री/समस्त उप मंत्री, उत्तर प्रदेश को मंत्रिगण के सूचनार्थ प्रेषित

आज्ञा से,
चन्द्र हास सिंह,
संयुक्त सचिव एवं प्रोटोकाल अधिकारी।

राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों, विधान परिषद के सभापति/उप सभापति तथा विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के साथ बरते जाने वाले शिष्टाचार आदि के संबंध में हिदायतें :

(1) आरम्भिक
(2) आगमन का वर्गीकरण
(3) आगमन की सूचना
(4) स्वागत
(5) भेंट करना
(6) विदा करना
(7) सामान